

Myrnf

gmg - 2009  
21/12/09

प.स.प. 1488-50,800-08

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

पत्र क्र. पी. संख्या 4

7938

क्रमांक:पं09(59)चिस्वा/2/90

जयपुर,दिनांक: 16.12.09

- 20/11/09  
21-12-09  
Acutly  
गुड  
नी कर्मिणी
- 1-प्रधानाचार्य,  
मेडिकल कॉलेज,  
जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर,  
उदयपुर, कोटा
  - 2-निदेशक  
(जन स्वा/प0क0/एड्स)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0जयपुर।

विषय:-उच्च अध्ययन पर प्रस्थान करने के फलस्वरूप उच्च  
अध्ययन अवकाश स्वीकृति करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के आदेश क्रमांक:पं0 07(1)  
चिस्वा/2/2002- डी-288 दिनांक 26.9.02 के द्वारा सेवारत चिकित्सकों को  
उच्च अध्ययन के दौरान प्रतिनियुक्ति पर नहीं मानने के निर्णय को इस विभाग  
के समसख्यक पत्र दिनांक 6.4.09 के द्वारा दिनांक 31.9.09 तक स्थगित किया  
गया था।

चूंकि प्रकरण में विधिक परीक्षण में अभी समय लगने की सम्भावना  
है। अतः निर्देशानुसार आदेश दिनांक 26.9.02 के स्थगन की अवधि दिनांक 31.  
12.09 तक बढ़ाई जाती है।

भवदीय,

शासन उप सचिव

राजस्थान - सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: ई 26/राजपत्रित/चिअ/पीजी /09/ 805

दिनांक :- 21-12-20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा।
- 2 समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय, राजस्थान।
- 3 समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें जोन राजस्थान।
- 4 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
- 5 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- 6 प्रभारी, कमप्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र को इन्टरनेट पर डालने का श्रम करें।
- 7 आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।